



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54878

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8217 वर्ष 2026

गगन उर्फ करे

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: संजय सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मौर्य, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका आरोपी-आवेदक, **गगन उर्फ करे** की ओर से प्रकरण अपराध संख्या 327/2025, धारा 140(2) बीएनएस, थाना एत्मदौला, जिला आगरा, के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. संक्षेप में, एफआईआर में दर्ज आरोप के अनुसार, दो अज्ञात व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के पांच वर्षीय नाबालिग पोते का अपहरण कर लिया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने एफआईआर में लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नाबालिग बच्चा आरोपी-आवेदक के कब्जे से बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 3.11.2025 से जेल में है। इसके अलावा, विद्वान एजीए के अनुसार, इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। निवेदन है कि मुकदमे के निष्कर्ष में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि विवाद पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. इस बात पर विचार करने के बाद कि एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और पीड़ित को घटना के कुछ घंटों बाद उसी दिन बरामद कर लिया गया था। धारा 180 के तहत दर्ज पीड़ित के बयान में, उसने कहा कि किसी ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई है और उसके चाचा उसे तीन अन्य व्यक्तियों के साथ ले गए थे और पीड़ित के माता-पिता से नशा आदि के लिए कुछ पैसे मांगे थे। आरोपी आवेदक पीड़ित का चाचा बताया जा रहा है। एफआईआर निहाल सिंह द्वारा दर्ज

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कराई गई है, जो आरोपी-आवेदक का पिता है। इस प्रकार, आरोपी-आवेदक, पीड़ित, मुखबिर और पीड़ित के माता-पिता आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। विद्वान एजीए के निवेदन के अनुसार, इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, और इसलिए, अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने और दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है। आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वह 3.11.2025 से जेल में है। मुकदमे के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) प्रकरण 677 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद संख्या 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए। (2022) 10 एससीसी 51** और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को निजी मुचलके और दो भारी जमानतों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, प्रत्येक जमानत राशि इतनी ही हो, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार, अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा:

(i) मामले की सुनवाई शुरू होने पर, (ii) आरोप तय होने पर और (iii) आरोपी के बयान को व्यक्तिगत रूप से दर्ज करने पर, ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

18 मार्च, 2026

अंकित

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"